

2021/599

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र

(भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत)

श्रीमान् उपरखण्ड अधिकारी महोदय

सांगोद

विषय- राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम की वर्तमान

जमाबंदी संवत् की खाता संख्या में

मेरा अशुद्ध नाम/जाति दर्ज है।

जबकि मेरा शुद्ध नाम/जाति हैं।

अतः उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :

प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी एवं जाँच भू. अभि. निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम/जाति के

स्थान पर शुद्ध नाम/जाति दर्ज किया जाना उचित है

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।


भू. अभि. निरीक्षक वृत्त

पटवारी हल्का

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का कुन्याण्ड तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कुन्याण्ड
के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति काली पुत्री धान्ना पारि मेहर राजस्व
रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंका की जाती है।


तहसीलदार सांगोद

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी कुन्याण्ड तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कुन्याण्ड
तहसीलदार सांगोद की अभिशंका के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति काली पुत्री धान्ना पारि
मेहर दर्ज रिकार्ड की जाए।

उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड आसंगोद
सांगोद जिला कोटा

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
(शिविर स्थान)

आदेश दिनांक 16/11/2021

आदेश

दिनांक 16/11/2021

श्री. अ. नि. के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी
श्री. अ. नि. के की रिपोर्ट तथा तहसीलदार
नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम
जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या
व तहसील व

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	मांगान्या	86	कासी पुत्री धन्ना पाहै मेट	कासी पुत्री धन्ना पाहै मेट

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
सोनीगोद जिला काँग्रेस

दिनांक :- 16/11/21

क्रमांक :- 2742

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
सोनीगोद जिला काँग्रेस